-2013-3,00,00

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 03/2018 (GCMS 2018/00023)

नरेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल जाति अग्रवाल आयु 49वर्ष निवासी हाण्डा कॉलोनी, 22 पीएस, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

30.05.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिह भनोत एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हैं। उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने कथन किया कि अपीलार्थी नरेश कुमार ग्राम पंचायत 22 पीएस मं उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञापत्रधारी है। अपीलार्थी का जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.05.2017 के द्वारा उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र 60 दिवस के लिए निरस्त किया गया था और इसके विरूद्ध अपील श्रीमान् न्यायालय में करने के उपरान्त प्रकरण को रिमाण्ड किया गया एवं तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाकर 7,85,611/– रूपये की राशि वसूल किये जाने के आदेश दिये गये।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी को 395.05 क्विंटल गेहूं, 5213.50 लीटर मिट्टी का तेल एवं 5.01 क्विंटल चीनी को अनियमित वितरण करने का दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किये गये है जबकि अपीलार्थी द्वारा वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप था कि वितरण के लिए पोस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है जबकि

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया गया था कि वितरण, रजिस्टर में इन्द्राज करके किया गया है। वितरण रजिस्टर में इन्द्राज सम्बन्धित उपभोक्ता को उनके राशन कार्ड पर गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि का वितरण किये जाने की प्रविष्टि के साथ–साथ वितरण रजिस्टर में उसका लेखा–जोखा दर्ज किया जाता है और उसके साथ साथ सम्बन्धित उपभोक्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी भी करवायी जाती हैं। **जिला रसद अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं से किसी पकार की न तो कोई जांच की गयी और न ही उनके राशन कार्ड से यह सन्तुष्ट होने का प्रयास किया गया कि वितरण किया गया है अथवा नहीं?**

उनका आगे यह भी कथन था कि जितनी मात्रा का गेहूं, मिट्टी का तेल और चीनी को खुर्द–बुर्द अथवा अनियमित वितरण का आक्षेप लगा कर अपीलार्थी के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, यह मात्रा सामान्य ज्ञान को भी प्रभावित नहीं करती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी के आदेश दिनांक 22.12.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था राशन वितरण में लगातार अनियमितताओं की शिकायते मिलने के कारण तत्कालीन जिला रसद आकिारी, श्रीगंगानगर द्वारा **उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेश कुमार, ग्राम पंचायत 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर की आकस्मिक जांच प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर द्वारा करवाई गई, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर द्वारा दिनांक [illegible] को [illegible] जांच की गई, जिसमें तथ्य सामने आये :**

1. भौतिक सत्यापन करने पर 338.45 [illegible] 4593.50 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर
ीगंगानगर

2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 04170302231830 एवं 04170302241514 की जाचं में भी राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का गबन करना पाया गया।
3. दुकान प्राधिकार पत्र में दर्ज स्थल पर संचालित नहीं होना पाया गयां
4. निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं था।
5. उचित मूल्य दुकान पर टाईटल बोर्ड, मूल्य सूची एचं प्रदर्शन बोर्ड नहीं लगा हुआ था।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे यह भी कथन था कि राशन डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इसी आदेश के तहत प्रदत प्राधिकार –पत्र की शर्त संख्या 1,5,8,10,11 व 17(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर ने गेहूं, केरोसीन व चीनी दिनांक 01.09.2016 को स्टॉक, दिनांक 01.09.2016 से 12.05.2017 तक प्राप्ति एवं पोस मशीन से वितरण का विवरण देते हुए पाया कि भौतिक सत्यापन करने पर दुकान/गोदाम परिसर में कुल 110 क्विं गेहूं, 1090 लीटर केरोसीन व 1.96 क्विं चीनी भण्डारित पायी गई। शेष 338.45 क्विं गेहूं व 4593.50 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे यह भी कथन था कि उक्त रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टतया अनियमिततायें होना पाये जाने पर डीलर का प्राधिकार पत्र 60 दिवस की अविधि के लिए निलम्बित किया गया। प्राधिकार पत्र निलम्बित करने के नोटिस के जवाब में ... ने बताया कि उसके द्वारा सूची मुताबिक की उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री वितरण की गई। उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में चयनित के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को गेहूं व अन्य सामग्री वितरित नहीं की गई, न ही खुर्द बुर्द की गई। **उसने बगैर पोस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
गंगानगर

मशीन फार्म भरवाकर राशन वितरण करना स्वीकार किया। डीलर ने उसके विरूद्ध शिकायतें भी झूठी करना बताया। उ**सके द्वारा दुकान 22 पीएस हान्डा कॉलोनी मे संचालित होना बताया । उसने यह भी माना कि रजिस्टर में पोस मशीन के कारण सामग्री दर्ज नहीं की गई थी।** उसने दिनांक 31.05.2017 दर्शाते हुए स्टॉक शून्य बताया गया और लाईसेंस बहाल करने का निवेदन किया।

उनका आगे यह भी कथन था कि डीलर द्वारा नोटिस के जवाब के पश्चात प्रवर्तन निरीक्षण रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 31.07.2017 को पुनः जांच की गई जिसमें **पुनः जांच में भी स्टॉक में राशन कम होने की पुष्टि की गई और पोस मशीन के अलावा वितरण रजिस्टर से वितरण करने का डीलर के कथन को असत्य पाया गया।**

उनका आगे यह भी कथन था कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह सितम्बर 2016 से उपखण्ड कार्यालय, रायसिंहनगर से **किसी भी प्रकार का वितरण रजिस्टर जारी नहीं किया गया ना ही जांच हेतु डीलर द्वारा अपने सबूत के तौर पर पेश किया** । सरपंच ग्राम पंचायत 22 पीएस ने दिनांक 29.06.2017 को स्पष्ट किया कि **नरेश कुमार द्वारा गेहूं वितरण में घपलेबाजी की जाती रही है, जिससे जनता काफी परेशान है।**

उनका आगे यह भी कथन था कि दिनांक 06.07.2017 को डीलर ने स्टॉक/वितरण रजिस्टर पेश किया, जिसके भौतिक सत्यापन हेतु एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई जिसके द्वारा जांच कर दिनांक 14.08.2017 को रिपोर्ट दी गई। जिसमें स्टॉक का सही मिलान नहीं होना प्रतिवेदित हुआ और **डीलर नरेश कुमार द्वारा वितरण रजिस्टर में गेहूं वितरण के सम्बन्ध में वितरण का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। डीलर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों की स्पष्टतः अवहेलना करना प्रतिवेदित हुआ।** डीलर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

नरेश कुमार द्वारा वक्त निरीक्षण कम पाये गये गेहूं को पूरा करने के लिए कूटरचित वितरण रजिस्टर तैयार किया जाना भी पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन था कि डीलर **नरेश कुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि माह सितम्बर 2016 में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा गेहूं का वितरण शत प्रतिशत पोस मशीन के जरिये करने के निर्देश दिये गये थे और उसने माह मई 2017 तक पोस मशीन के साथ साथ रसद विभाग से दिये गये प्रमाणित रजिस्टर में भी गेहूं व अन्य राशन सामग्री का वितरण किया।**

उनका आगे यह भी कथन था कि राशन डीलर नरेश कुमार, ग्राम पंचायत 22 पीएस द्वारा गंभीर अनियमितायें करने के कारण उसके विरूद्ध सम्बन्धित थाना थानाधिकारी, पुलिस थाना रायसिंहनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 385/09.09.2017 दर्ज करवाई गई।

उनका आगे यह भी कथन था कि नरेश कुमार द्वारा जिला कलक्टर महोदय के समक्ष अपील रसद 6/2017 दर्ज हुई जिसमें दिनांक 30.10.2017 को निर्णय पारित कर 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को उसके अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में सुनवाई कर विधिवत् निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

उनका आगे यह भी कथन था कि नरेश कुमार द्वारा भौतिक सत्यापन में कम पाई गई राशन सामग्री गेहूं तथा केरोसीन की मात्रा के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गया। उसके द्वारा **सामग्री वितरण करने के स्पष्ट निर्देशों की घोर अवेहलना माह सितम्बर 2016 से मई 2017 तक जारी रखी।** प्रथम बार प्रवर्तन निरीक्षक रायसिंहनगर और तत्पश्चात विभागीय टीम के द्वारा **भौतिक सत्यापन की प्रस्तुत रिपोर्ट और एफ.आई.आर. के आलोक में नरेश कुमार द्वारा घोर अनियमितताये बरती जाकर राशन सामग्री का गबन करना और प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8, 10, 11 व 17 (ग)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य विभाग द्वारा जीर अधिसूचना एसओ 162 दिनांक 17.01.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर का प्राधिकार पत्र संख्या 218/1990 रद्द किया गया व प्राधिकार पत्र की निक्षेप प्रतिभूमि राशि का समपहरण किया गया है। इसके साथ साथ नरेश कुमार द्वारा अनियमित वितरित/खुर्द–बुर्द/गबन राशन सामग्री गेहूं 395.05 क्वि. तथा केरोसीन 5213.50 लीटर एवं 5.01 क्विं चीनी, की राशि क्रमश 1625 रू. प्रति क्वि. 25.20 रू. प्रति लीटर व 2450 रू. प्रति क्विं. से आंकलित कर राशि 641956/– रूपये (गेहूं पेटे) तथा 131380/–(केरोसीन पेटे) व 12275/– रू. (चीनी पेटे) कुल राशि 7,85,611 रू. (अखरे रूपये सात लख पिचयासी हजार छः सौ ग्यारह मात्र) मय नियमानुसार ब्याज उससे वसूल करने के आदेश दिये गये है। इसलिए राशन डीलर को राशन सामग्री की राशि 7,85,611/– रू. मय नियमानुसार ब्याज जमा करवाने हेतु पाबंद करते हुए उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने संबंधी निर्णय यथावत रखने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उचित मूल्य नरेश कुमार की दुकान की बार बार जांच करने पर राशन सामग्री गेहूं एवं केरोसीन कम पाये गये है। नरेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार, 2 पीएस की **प्रवर्तन निरीक्षण की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 एवं दिनांक 31.07.2017 तथा तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा भी दिनांक 14.08.2017 को जांच रिपोर्ट पेश की गई है।** प्रत्येक बार नरेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार, 22 पीएस पर स्टॉक कम पाया गया तथा वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया अथवा **कूटरचित रजिस्टर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
...नगर

पेश किया गया है। सरपंच, ग्राम पंचायत 22 पीएस की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 के अनुसार भी उक्त **उचित मूल्य दुकानदार नरेश कुमार द्वारा गेहूं वितरण में घपलेबाजी की जाती रही है,** जिससे जनता काफी परेशान है का उल्लेख किया गया है।

अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके द्वारा गेहू, चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण में पोस मशीन का उपयोग नहीं किया है और उसके स्थान पर रजिस्टर में उसका लेखा जोखा दर्ज किया गया है और सम्बन्धित उपभोक्ता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी करवाई है परन्तु भौतिक सत्यापन के समय नरेश कुमार द्वारा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया और बाद में कूटरचित तरीके से रजिस्टर तैयार कर प्रस्तुत किया गया है तथा **अपीलार्थी नरेश कुमार द्वारा पोस मशीन का उपयोग न कर रजिस्टर में दर्ज किया गया मान भी लिया जाये तो वह भी राज्य सरकार द्वारा माह सितम्बर 2016 से पोस मशीन से राशन वितरण के आदेशो/निर्देशों की अवहेलना ही है।**

अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि जिला रसद अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की न तो कोई जांच की गई और न ही उनके राशन कार्ड से यह सन्तुष्ट होने का प्रयास किया गया कि वितरण किया गया है अथवा नहीं? जबकि **प्रवर्तन निरीक्षण की जांच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 एवं दिनांक 31.07.2017 तथा तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा भी दिनांक 14.08.2017 को जांच रिपोर्ट पेश की गई हैं** तथा प्रत्येक बार नरेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार, 22 [illegible] गेहूं व केरोसीन आदि कम पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी नरेश कुमार राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री अनियमित वितरित/खुर्द-बुर्द/गबन करने और **और प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 8, 10, 11 व 17 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested

करने के कारण उसका **प्राधिकार पत्र संख्या 218/1990 निरस्त करने योग्य ठहरता** है साथ ही नरेश कुमार द्वारा अनियमित वितरित/खुर्द-बुर्द/गबन राशि सामग्री 395.05 क्वि. गेहूं तथा केरोसीन 5213.50 लीटर एवं 5.01 क्विं चीनी, की राशि क्रमश 1625 रू. प्रति क्वि. 25.20 रू. प्रति लीटर व 2450 रू. प्रति क्विं. से आंकलित कर **राशि 641956/- रूपये (गेहूं पेटे) तथा 131380/-(केरोसीन पेटे) व 12275/- रू. (चीनी पेटे) कुल राशि 7,85,611 रू. (अखरे रूपये सात लख पिचयासी हजार छः सौ ग्यारह मात्र)** मय नियमानुसार ब्याज उससे वसूल करने के आदेश दिये जाते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी नरेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर का प्राधिकार पत्र संख्या 218/1990 रद्द किया जाता है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश 22.12.2017 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:41 IST
Reason: SelfAttested